

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0, पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: योजना एवं विकास विभाग एवं क्षेत्रीय योजना कार्यालयों के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलाइजेशन अन्तर्गत Command & Control Centre and Video Conference Solution के स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एजेंसी को भुगतान हेतु मो0 14,52,576.00 (चौदह लाख बावन हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति के संबंध में।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3695 दिनांक-15.07.2026 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को केन्द्रीयकृत स्तर पर अनुश्रवण, निगरानी एवं समन्वय स्थापित करने के लिए Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना की गयी है। इसके लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी M/s Graphic Trades Pvt. Ltd. का चयन किया गया।

4. Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-107 स्वी0 दिनांक-20.02.2025 के द्वारा मो0 17,52,39,555.00 रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. M/s Graphic Trades Pvt. Ltd. द्वारा उक्त कार्य का 1st Milestone पूर्ण करने के उपरांत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-200 स्वी0 दिनांक-22.03.2025 द्वारा कुल एकरारित राशि का 70 प्रतिशत राशि मो0 12,20,16,354.00 (बारह करोड़ बीस लाख सोलह हजार तीन सौ चौवन) रुपये मात्र तथा 2nd Milestone एवं Successfull completion of FAT/GO Live का कार्य करने के उपरांत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-875 स्वी0 दिनांक-03.12.2025 द्वारा कुल एकरारित राशि का अनुमान्य 25% राशि मो0 4,35,77,270.00 (चार करोड़ पैतीस लाख सत्तहतर हजार दो सौ सत्तर रुपये) रुपये मात्र सहित कुल राशि मो0 16,55,93,624.00 (सोलह करोड़ पचपन लाख तिरानवे हजार छः सौ चौबीस) रुपये मात्र सभी कर सहित का भुगतान किया जा चुका है।

6. M/s Graphic Trades Pvt. Ltd. द्वारा Command and Control Center & Video Conference Solution के Successfull completion of FAT/GO Live के उपरांत इस कार्य के 3rd Milestone के तहत Operations and Maintenance (O & M) अन्तर्गत एकरारित राशि के शेष 5% राशि को समान 12

P.T.O. 112

QGR में भुगतान किया जाना है, जिसके तहत 1st QGR for the period of 15.10.2025 to 14.01.2026 & 2nd QGR for the period of 15.01.2026 to 14.04.2026 तक कुल 02 QGR के लिए मो0 14,52,576.00 (चौदह लाख बावन हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) रुपये मात्र का विपत्र भुगतान हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय परामर्शी KPMG द्वारा इस विपत्र पर प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन तथा RFP में निहित शर्तों के आलोक में M/s Graphic Trades Pvt. Ltd. द्वारा समर्पित विपत्र की राशि मो0 14,52,576.00 (चौदह लाख बावन हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र रुपये मात्र के भुगतान हेतु संचिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उपर्युक्त के आलोक में Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव के तहत हेतु M/s Graphic Trades Pvt. Ltd. द्वारा 3rd Milestone अन्तर्गत Operations and Maintenance (O & M) के कार्यों हेतु 2 QGR दिनांक-15.10.2025 से 14.01.2026 एवं 15.01.2026 से 14.04.2026 तक के लिए मो0 14,52,576.00 (चौदह लाख बावन हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र रुपये की राशि की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. मेसर्स Graphic Trades Pvt. Ltd. को भुगतान की जानेवाली राशि में से नियमानुसार 2% आयकर एवं 2% GST की राशि के रूप में कटौती की जायेगी।

9. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग, मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235602000117 विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय मद के तहत विकलनीय होगा।

10. इस राशि की विमुक्ति योजना एवं विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० नरुल हक सिवानी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-1) - 5122 /यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-1) - 5122 /यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: निदेशक, M/s Graphic Trades Pvt. Ltd., C-15B, S.K Puri, Baswan Park Lane, Boring Road, Patna 800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक-सह-निकाररी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024(खंड-I) - 5122 / यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

